ANSARI): I beg to lay on the Table:—

A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Silk Board for the year 1972-73, under section 12A of the Central Silk Board Act, 1948. [*Placed in Library. See* No. LT-3820/73].

INDIAN TELEGRAPH (SECOND AMENDMENT) RULES, 1973 AND RECOMMENDATIONS ETC. OF PATHAK COMMITTEE ON TELECOMMUNICATION CAPACITY AND PLANNING

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI JAGANNATH PAHADIA): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the Indian Telegraph (Second Amendment) Rules, 1973 (Hindi and English versions) published in Notification No. G. S. R. 1243 in Gazette of India dated the 17th November, 1978 under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885. [*Placed in Library. See* No. LT-5821/73].

(2) A copy of the Conclusions and Recommendations of the Pathak Committee on Telecommunication Capacity Planning and the Decisions of the Government thereon (Hindi and English versions). [*Placed in Library. See* No. LT-5822/73].

ANNUAL REPORT ETC. OF THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA ON PRESS IN INDIA, 1972

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA): I beg to lay on the Table:—

(i) A copy of the Annual Report (Part II) of the Registrar of Newspapers for India on Press in India, 1972.

(ii) A Statement (Hindi and English versions) explaining the reasons for not laying the Hindi version of the above Report. [*Placed in Library. See* No. LT-5823/73].

**श्री अटल विहारी बाजपेयी** (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह रिपोर्ट हिन्दी में नहीं रखी गई है और मंत्री महोदय ने बयान दिया है कि हिन्दी में रिपोर्ट नहीं रखी जा सकती है और न रखी जायेगी—चूंकि यह पहले अंग्रेजी में रखी जाती थी, इसलिए अब भी वह अंग्रेजी में रखी जायेगी मैं समझता हूं कि वह कार्यवाही पालियामैंट द्वारा पास किये गये कानून के खिलाफ़ है

भाग (2) में यह पत्र सभा-पटल पर रखा गया है : "उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण" इस विवरण में कहा गया है :

"भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार की पंद्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रैस इन ईंडिया 1972 भाग 2, वर्ष 1971 के अन्त तक प्रकाशित सभी समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं की एक विवरण पुस्तिका है क्योंकि यह समाचारपत्रों की एक सूची ही है, इस लिए इस को पहले के वर्षों की तरह हिन्दी में नहीं छापा गया है"

मेरा निवेदन है कि यह रिपोर्ट, चाहे यह एक सूची ही है, हिन्दी में भी सभा-पटल पर रखी जानी चाहिए

**अध्यक्ष महोदय** : इस में कहा गया है : "ए स्टेटमेंट (हिन्दी एण्ड इंगलिश) वगैरह ......" यह स्टेटमेंट तो हिन्दी में भी है

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : स्टेटमेंट हिन्दी में है, लेकिन रिपोर्ट हिन्दी में नहीं है । यह बहाना नहीं चलेगा कि यह एक मोटी किताब है, इस लिए इस का हिन्दी रूपान्तर तैयार करना कठिन है ।

**श्री धर्मवीर सिंह** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रभाषा के प्रति मेरे मंत्रालय में अनादर की भावना नहीं है । अगले वर्ष से यह रिपोर्ट हिन्दी में भी रखी जायेगी ।

---

13.04 hrs.

## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Navy (Amendment) Bill, 1973, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd November, 1973."

---

## NAVY (AMENDMENT) BILL

As Passed by Rajya Sabha

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table of the House the Navy (Amendment) Bill, 1973, as passed by Rajya Sabha.

---

13.05 hrs

## BURN COMPANY AND INDIAN STANDARD WAGON COMPANY (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL*

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI T. A. PAI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the taking over, in the public interest, of the management of the undertakings of certain companies, pending nationalisation of such undertakings, with a view to ensuring rational and co-ordinated development and production of rolling stock, other products of iron and steel industry and other goods needed by such industry, and for matters connected therewith or incidental thereto.

**श्री मधु लिमये** (बांका) : अध्यक्ष महोदय, इस में तीन मुद्दे उठते हैं ।

पहला तो यह कि आज मंत्री इस विधेयक के साथ जो वक्तव्य परिचालित किया गया है, उस में मंत्री महोदय ने कारण बताया है कि वह दो दिन का नोटिस क्यों नहीं दे पाये । अगर आप इस को एक औपचारिक बात समझते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन अगर आप इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्ज को देखेंगे, तो आप को पता चलेगा कि यह मामला बहुत पुराना है । अर्से से मजदूर संगठन इस के बारे में शिकायत कर रहे थे । इन कम्पनियों में घोटाला, अव्यवस्था और बद-इन्तजामी थी । तो फिर मंत्री महोदय को ऐसा कौन सा विलम्ब का कारण हुआ कि वह दो दिन का नोटिस नहीं दे सकते थे ? अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर आप को निर्णय करना है । आप इस बारे में एक आदेश जारी कीजिए ।

दूसरे, मेमोरेंडम रिगार्डिंग डेलीगेटिड लेजिसलेशन में कहा गया है कि यह एक साधारण नियम बनाने का प्रावधान है, डेलीगेटिड लेजिसलेशन है । लेकिन यदि आप इस विधेयक की धारा 4 की ओर ध्यान देंगे, तो आप को पता चलेगा कि इन कम्पनियों के सरकार के हाथ में चले जाने के बाद उन के ढांचे के बारे में क्या योजना होगी, उस की क्या रूपरेखा होगी, इस का

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 28-11-73.